मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :– श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

बनारसी आदि बनाम छैलूराम आदि

दावा बाबत :– 88RTAct

मुकदमा नम्बर :– 82/2021

निर्णय दिनांक :–

वादी की ओर से वकील लोटाराम अग्रवाल की व प्रतिवादी सं0 1 व 3 की ओर से वकील कमल आदि की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 17-12-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा आसन के खाता सं० 59/2 के खसरा सं० 216 की 3.3010 है० बारानी हदि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 1/4 हिस्सा व रोही आसन के खाता सं० 60/3 के खसरा सं० 12, 14, 48, 207 कुल 7.5370 है० बारानी हदि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 1/3 हिस्सा व खाता सं० 61/4 के खसरा सं० 200 की 5.8930 है० बारानी हदि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वर्णित वादभूमि में से प्रतिवादी सं० 1 छैलूराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण सं० 1 बनारसी व वादीगण सं 2 भीमसिंह को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है चूंकि प्रतिवादी सं 1 व 3 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर मुझे कर दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग का देय पंजीयन शुल्क अदा करने व रहनमुक्त होने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17-12-21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner